कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद बहराइच अपनी सीमा के अन्दर पार्किंग शुल्क की वसूली का ठेका दिनांक 31.03.2021 तक के लिए खुली नीलामी बोली के द्वारा दिनांक 08-01-2020 को समय दोपहर 2.00 बजे से नगर पालिका कार्यालय में उठाने जा रही है। इच्छुक बोली दाता एक लाख रूपये (बैंक ड्राफ्ट) जमानत राशि, चरित प्रमाण पत्र व 25 लाख रूपये की हैसियत प्रमाण पत्र व पालिका द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र जमा कर नीलामी बोली में भाग ले सकते है ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी में निहित रहेगा। पार्किंग शुल्क वसूली से सम्बन्धित अन्य शर्ते पालिका कार्यालय के कर विभाग में किसी भी कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है।

(पवन कुमार)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बहराइच।

(श्रीमती रूबीना रेहान)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
बहराइच।

पत्रांक 870/पार्किंग/नीलामी/सूचना/2019

दिनांक 23-12-2019

सेवा में,

श्रीमान सम्पादक
अमर उजाला, हिन्दुस्तान
बहराइच।

कृपया संलग्न सूचना को अपने समाचार पत्र में एक दिन न्यूनतम दर पर प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की 5 प्रतियों के साथ मय बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

20. पार्किंग वसूली निम्न दरों से की जायेगीः–

क0सं0	वाहनों का विवरण	प्रतिदिन वसूली दर (रूपया)
1	भैंसा गाड़ी,बैल गाड़ी, इक्का, तांगा, खडखडा, ठेला, ठेलिया	5.00
2	मोटर, बस या अन्य सावारी के बडे वाहन	100.00
3	लारी, ट्रान्सपोर्ट की ट्रके तथा अन्य ट्रके	150.00
4	मेटाडोर तथा मालवाहक छोटे लोडर	75.00
5	ट्रैक्टर मय ट्राली	25.00
6	टैक्सी, टैम्पो, ई–रिक्शा, जीप, कार या अन्य छोटी सावारी गाड़ी	10.00
7	स्कूटर, स्कूटी, मोटर साईकिल, मोपेड आदि	5.00
8	साईकिल	3.00

23-12-2019

कर अधीक्षक
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बहराइच

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
बहराइच

नगर पालिका परिषद,बहराइच

शर्तनामा–पार्किंग शुल्क

1. नगर पालिका सीमा में पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका दिनांक 31.03.2021 तक के लिये मान्य होगा। दिनांकं 31.03.2021 को रात्रि 12:00 बजे के बाद स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
2. पार्किंग बोलीदाता नीलामी बोली बोलने से पूर्व 100000 (एक लाख रूपये)/बैंक ड्राफ्ट जमानत राशि पालिका कोष में जमा कराकर ही नीलामी प्रकिया में प्रतिभाग कर सकेगा।
3. नगरपालिका परिषद के किसी भी बकायेदार को नीलामी बोली में भाग लेने का अधिकार नही होगा।
4. बोलीदाता को नीलामी बोली में भाग लेने से पूर्व 25 लाख रूपये की हैसियत की प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
5. बोलीदाता को नीलामी बोली में भाग लेने से पूर्व जिलाधिकारी महोदय बहराइच के द्वरा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाता की नीलामी बोली स्वीकृत होने पर प्रथम व द्वितीय बोलीदाता की जमानत राशि रोककर अन्य बोलीदाता की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी तथा प्रथम बोलीदाता के नियत समय में नीलामी राशि जमा करने पर द्वितीय बोलीदाता की भी जमानत राशि वापस कर दी जायेगी एवं प्रथम बोलीदाता के नियत समय पर नीलामी राशि जमा न करने पर जमानत राशि जब्त कर द्वितीय बोलीदाता को नीलामी राशि नियत समय में जमा करने हेतु बुलाया जायेगा। द्वितीय बोलीदाता के भी नियत समय में नीलामी राशि जमा न करने पर जमानत राशि जब्त कर पुनः नीलामी की कार्यवाही की ज़ायेगी।
7. नीलामी बोली स्वीकृत होने के तीन दिन के अन्दर नीलामी बोली की धनराशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा व बकाया 50 प्रतिशत 6 माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नीलामी स्वीकृत होने पर 7 दिन के अन्दर निर्धारित 4 प्रतिशत स्टाम्प पर रजिस्टर्ड अनुबन्ध ठेकेदार को स्वंय के खर्च पर नगर पालिका से कराना होगा।
9. ठेकेदार के द्वारा नगर पालिका परिषद बहराइच सीमा में पार्किंग शुल्क की वसूली नगर पालिका परिषद बहराइच के द्वारा संलग्न निर्धारित दरों के आधार पर ही निम्न स्थानो, बंजारी मोड के पास, रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने टैक्सी स्टैण्ड, रिक्शा स्टैण्ड चांदपुरा चौराहा के पास, झिंगहा घाट मोड, मेडिकल कालेज के पास, डिगिहा चौराहा के पास, अग्रसेन चौराहा से रेलवे स्टेशन रोड पर, दरगाह तिराहे पर, आसाम रोड मण्डी समिति के पास, हुजुरपुर बस स्टैण्ड के पास, तांगा स्टैण्ड घण्टाघर के पास, दोनक्का चौराहे के पास, आजाद इण्टर कालेज के पास, भिनगा रोड गल्ला मण्डी पुलिस चौकी के पास आदि।
10. ठेकेदार के द्वारा सरकारी/राजनैतिक वाहनों से पार्किंग शुल्क नही लिया जायेगा।
11. ठेकेदार के द्वारा ऐसे किसी स्थान पर पार्किग नही कराया जायेगा जिससे की कोई यातायात/ आवागमन प्रभावित होता हो।
12. ठेकेदार के द्वारा ऐसे किसी भी स्थान पर पार्किंग नही करायी जायेगी जिससे किसी भवन/स्मारक/ चौराहा/पार्क का मुख्य गेट व भवन छुपता हो।
13. पार्किंग ठेकेदार को पार्किंग वसूली की निर्धारित दारो का बोर्ड वसूली स्थल पर लगाना अनिवार्य होगा।
14. ठेकेदार के पार्किंग वसूली कर्मचारी खाकी वर्दी, आई कार्ड व कैप के साथ निर्धारित स्थान पर ही पार्किंग वसूली करेंगे।
15. ठेकेदार के द्वारा पार्किंग वसूली की रसीद बुक अधिशासी अधिकारी के द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त जारी की जायेगी।
16. ठेकेदार के द्वारा किसी भी प्रकार वैरियर लगाकर पार्किंग वसूली नही की जायेगी।
17. ठेकेदार को नगर पालिका/जिला प्रशासन अथवा शासन के द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. ठेकेदार के द्वारा पालिका शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर 5000.00 रूपये का जुर्माना अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा निमित्त प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा जो ठेकेदार को जमा करना होगा।
19. ठेकेदार की शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार को तत्काल उसका निस्तारण करना होगा व पुनः शिकायत प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष बोर्ड को अधिकार प्राप्त होगा कि वह ठेका निरस्त कर सकेगा।